माननीय आशुतोष मोहंता और आर.एस. मदन, जे.जे. के समक्ष

ओम प्रकाश, -याचिकाकर्ता

बनाम

वित्तीय आयुक्त एवं प्रधान हरियाणा सरकार के लिए सचिव एवं अन्य,-उत्तरदाता

C.W.P. NO. 10953 OF 2006

29 जनवरी, 2007

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद,-226-हरियाणा लोक सेवा आयोग (सेवा की शर्तें) विनियम, 1973-आरआई.5- पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड II (हरियाणा पर लागू)- नियम 4.19(बी) और 6.16(2)—जिला अटॉर्नी के इस्तीफे की स्वीकृति—इस्तीफे को सेवानिवृत्ति के रूप में मानने का अनुरोध—अस्वीकृति—याचिकाकर्ता ने लगभग 13 1/2 वर्षों तक विभाग में सेवा की—क्या पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ का हकदार है—निर्णय, हां—याचिकाकर्ता को हकदार माना गया नियम 6.16 (2) के तहत प्रदान किए गए पेंशन लाभ के लिए - याचिका स्वीकार की गई।

निर्णय, कि याचिकाकर्ता जिसने जिला अटॉर्नी के पद से इस्तीफा दे दिया है, वह अपनी सेवाओं के संबंध में आनुपातिक पेंशन का हकदार है, यानी 13 साल 6 महीने और 25 दिन। इस प्रकार, वह पंजाब सिविल सेवा, खंड. द्वितीय के प्रावधान 6.16 (2) के अनुसार लाभ का हकदार है ।

(पैरा 7)

भूप सिंह, याचिकाकर्ता के लिए वकील.

अनमोल रतन सिद्धू, अतिरिक्त महाधिवक्ता, हरियाणा दीपक जिंदल, सहायक महाधिवक्ता, हरियाणा के साथ

निर्णय

आर. एस. मदन, जे.

(1) याचिकाकर्ता का दावा है कि 14 जनवरी को 1991, वह निदेशक अभियोजन हरियाणा विभाग में उप जिला अटॉर्नी के रूप में शामिल हुए। एक माह का वेतन जमा करने के बाद में उन्हें अभियोजन विभाग, हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी पदोन्नत किया गया। उनका इस्तीफा 9 अगस्त, 2004 को स्वीकार कर लिया गया। 10 अगस्त, 2004 को उन्हें हरियाणा लोक सेवा आयोग के सदस्य हरियाणा सरकारी अधिसूचना दिनांक 10 अगस्त, 2004 (अनुलग्नक) प।) द्वारा नियुक्त किया गया। 23 अगस्त 2004 को याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी नंबर 1 को एक पत्र लिखा, कहा गया है कि हरियाणा लोक सेवा नियम 5 सेवानिवृत्ति सेवा आयोग (सेवा की शर्तें) विनियम, 1973 और सिविल सेवा नियम, खंड-II के नियम 4.19(बी) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए उनका इस्तीफा समझा जाए और जमा की गई परिलब्धियाँ उसे वापस कर दिए जाएँ।

(2) 1 जून, 2005 को, याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी नंबर 1 को फिर से एक पत्र भेजा जिसमें एक महीने के नोटिस के बदले उसके द्वारा जमा की गई परिलब्धियां वापस करने का अनुरोध किया गया। याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि उसने 13 साल 6 महीने और 25 दिनों तक विभाग में सेवा की है, इसलिए वह पंजाब सिविल सेवा नियम, खंड- II के नियम 6.16 (2) के प्रावधानों के अनुसार पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का हकदार है जैसा कि हरियाणा राज्य पर लागू है। दिनांक 7 जुलाई, 2005 के पत्र के माध्यम से याचिकाकर्ता का अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता द्वारा वर्तमान याचिका दायर की गई।

(3) नोटिस पर, उत्तरदाताओं ने उत्तरदाताओं संख्या 1 और 2 की ओर से एक संयुक्त लिखित बयान दाखिल करके दावे का विरोध किया।

(4) याचिकाकर्ता का दावा, हालांकि, उत्तरदाताओं द्वारा खारिज कर दिया गया था, - अनुबंध पी8 के अनुसार, जिसे निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है:

"से

वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव,
हरियाणा सरकार,
न्याय विभाग का प्रशासन.

को

निदेशक, अभियोजन, हरियाणा,
पंचकुला.

मेमो क्रमांक 27/21/2004-2JII.
दिनांक, चंडीगढ़: 28 अप्रैल, 2006

विषय: श्री ओम प्रकाश, पूर्व जिला अटॉर्नी द्वारा सेवा से इस्तीफे के संबंध में।

ऊपर उद्धृत विषय पर आपके मेमो नंबर ई/4/134-ए.पी.(एल)-06/2880, दिनांक 22 फरवरी, 2006 के संदर्भ में।

खेद है कि सरकार आपके प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थ है।

(एसडी.)
अधीक्षक जेल एवं न्यायिक,
पद के लिए: वित्तीय आयुक्त और
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
न्याय विभाग प्रशासन
अभियोजन निदेशालय हरियाणा

पृष्ठांकन संख्या ए/3/134-एपी(एल)-06/7543, दिनांक 11 मई, 2006

श्री ओम प्रकाश, पूर्व जिला अटॉर्नी, सदस्य, हरियाणा लोक सेवा आयोग, हरियाणा, चंडीगढ़ को उनके प्रतिनिधित्व दिनांक 1 जून, 2005 के संदर्भ में एक प्रति अग्रेषित की गई।

(एसडी.)
अभियोजन निदेशक, हरियाणा 9 मई, 2006"

(5) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने **मेहर सिंह बनाम पंजाब राज्य (1)** पर भरोसा जताया है, जिसमें इस न्यायालय ने फैसले के पैरा 7 में कहा था कि क्योंकि याचिकाकर्ता ने 10 साल से अधिक की सेवा के बाद इस्तीफा दे दिया था, इसलिए वह पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के हकदार हैं क्योंकि सेवा से समय से पहले सेवानिवृत्ति और सेवा से स्वैच्छिक इस्तीफे का एक ही प्रभाव होगा यानी कोई सेवानिवृत्त हो रहा है।

(6) विद्वान वकील ने आगे **हरियाणा राज्य बनाम मदन पाल अहलावत (2)** में पारित फैसले का हवाला दिया, जिसमें उनके आधिपत्य माननीय श्री न्यायमूर्ति एसएस निज्जर ने नियम 4.19 (ए) और 6.16 (2) पर विचार करते हुए कहा कि नियम 4.19 (ए) पंजाब सिविल सेवा नियम खंड। भाग II केवल उन मामलों में लागू होगा जहां कदाचार के लिए तोड़फोड़, जासूसी आदि जैसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए अनुच्छेद 311(2) के प्रावधान सी के तहत सेवा से बर्खास्तगी के आदेश से बचने के लिए सरकारी कर्मचारी द्वारा इस्तीफा प्रस्तुत किया जाता है। यह प्रावधान संभवतः घरेलू कारणों से सेवा से स्वैच्छिक इस्तीफे पर लागू नहीं किया जा सकता है। त्यागपत्र देने की स्थिति में भी मामला स्पष्ट रूप से नियमावली के नियम 6.16(2) के अंतर्गत आएगा। क्योंकि प्रतिवादी ने 10 साल से अधिक की सेवा के बाद घरेलू कारणों से सेवा से इस्तीफा दे दिया, वह स्पष्ट रूप से नियम 6.16(2) के तहत आनुपातिक पेंशन का हकदार था।

(7) मेहर सिंह (सुप्रा) और हरियाणा राज्य बनाम मदन पाल अहलावत (सुप्रा) में की गई टिप्पणियों पर विचार करने के बाद, हमारा विचार है कि याचिकाकर्ता, जिसने जिला अटॉर्नी के पद से इस्तीफा दे दिया है उनके द्वारा की गई सेवाओं के संबंध में अर्थात 13 वर्ष 6 महीने और 25 दिन, वह आनुपातिक पेंशन का हकदार है, जैसा कि हरियाणा

---

[1] 2003(2) R.S.J. 344

[2] 2003(1) R.S.J. 490

राज्य पर लागू है। इस प्रकार वह पंजाब सिविल सेवा, खंड- II (हरियाणा राज्य पर लागू) के प्रावधान 6.16(2) के अनुसार लाभ का हकदार है।

(8) इसलिए, हम वर्तमान रिट याचिका को स्वीकार करते हैं और अनुबंध पी8 को रद्द करते हैं। इस आदेश के पारित होने की तारीख से चार महीने के भीतर याचिकाकर्ता को सेवानिवृत्ति लाभ यानी पेंशन, ग्रेच्युटी और छुट्टी नकदीकरण आदि का भुगतान किया जाना चाहिए।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

भावना गेरा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
कुरूक्षेत्र, हरियाणा